

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

नकल पत्र जैल है , आज दिनांक 4.5.16को महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के पत्र क्रमांक 5423/I-I/SVB(H) दिनांक 3.5.16 व कार्यालय पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला के डायरी नम्बर 665 दिनांक 4-5-16 अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्राप्त हुई है जिसका मजबूत जैल है सेवा में प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला श्रीमान जी, निवेदन है कि Director General of State Vigilance Bureau ,Haryana ,Panchkula के पत्र क्रमांक 17464-65/आई-1 रा.चौ.. ब्यूरो(ह) दिनांक 04.12.2015 व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 63/103/15-1 VII दिनांक 19-11-2015 अनुसार एक पत्र क्रमांक 6/4-2013-HRL(4 दिनांक 04-09-2015) अनुसार क्रीमिनल केस दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्राप्त हुए हैं जिसका सारांश निम्नलिखित है की वर्ष 2012 स्कूल कैडर के ग्रुप बी अध्यापकों की वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी इस परीक्षा के सम्बन्ध में HTET ने उन उम्मीदवारों को जिनके पास चार वर्ष पढ़ाने का अनुभव है उनको हट देने का नियम निर्धारित किया था । इस पढ़ाने के अनुभव के आधार पर जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति दी गई थी उन उम्मीदवारों के विभागीय जांच के दौरान चयनित उम्मीदवारों की मैडिकल परीक्षा ,चरित्र सत्यापन तथा चार वर्ष का पढ़ाने का अनुभव दुरुस्त नहीं पाया गया । शिक्षा विभाग की जांच कमेटी द्वारा यह भी पाया गया कि जो पढ़ाने के अनुभव प्रमाण पत्र जिन स्कूल आर्थोटी /संस्थानों द्वारा जारी किये गये हैं । उन संस्थानों के द्वारा इन उम्मीदवारों की उपस्थिति वेतन के लिये दर्शायी गई है । जिसमें भी काफी विभिन्नतायें पाई गई हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कटौती व उपस्थिति रजिस्टर में भी काफी विभिन्नतायें पाई गई हैं । जांच के आधार पर कमेटी ने इन उम्मीदवारों के पढ़ाने के अनुभव प्रमाण पत्र बिना कारण के व बिना तस्दीक के गलत जारी करने पाये गये । कमेटी ने अपनी जांच के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के अधीन आने वाले स्कूल-BRAM Janta Sr. Sec.School Moti Nagar Ambala city.व National Sr. Sec. School Babain Kurukshetra से उक्त जांच अनुसार जिन सात उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने पाये गये वह इस प्रकार है-1.Viney Kumari D/O Roshan Lal V.P.O Udaipur Ambala 15/03/1973 Female/ Gen. Mathematics 15 & 40910481, (Sr.No.50) 2. Meenakshi D/o Harish Chander ,356 ,Sunder Nagar ,Hissar 16/03/1980/Female/Gen. Mathematics128 & 40912342. (Sr.No. 51) 3. Parvinder Kaur D/O Vishan Singh H.NO.166, Sector-1 Jail land Ambala 17/01/1973/ Female/ Gen. Punjabi 12 & 99090032 (Sr.No.52) 4. Jaipreet Kaur D/o Balkar Singh , Jaipreet kaur W/O Sunil Kumar R/O H. NO.1298 P Sector-4 Part ii Urban Estate Kurukshetra 08/08/1981/ Female /SC,Punjabi 352 & 99090015. (Sr. No. 53) 5. Davinder Kaur D/O Sant Singh H.No 699/12, Guru Arjun Pura, Manav Chowk, Ambala 10/01/1979/Female/BC, Punjabi 360 & 25091122. (Sr. No. 54). 6. Gurukirat Kaur D/O Swaran Singh H.No. 247/3 Killa Sikhian Sikh Fort Shahabad Markanda Kurukshetra. 11/12/1971/Female/Gen., Punjabi 80 & 25091170, (Sr.No. 64). 7. Lakhvinder Singh s/o Kirpal Singh vill Padlu, PO Rawa, Kurukshetra. 20/10/1976/Male/ESM/Ex-Serviceman Dependent, Punjabi 384 & 25091442. (Sr. No. 65) जो उपरोक्त आवेदकों/अध्यापकों को स्कूल प्रबंधन/आथोरिटी ने गलत तरीके से मनगढ़त रिकार्ड तैयार करके अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये हुये हैं, इन स्कूल प्रबंधन द्वारा आवेदकों/अध्यापकों के साथ मिली भगत करके तरह-तरह के स्कूल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके आवेदकों /अध्यापकों की नियुक्ति पाने में अनुचित सहायता की गई है । जांच कमेटी ने विजीलेंस विभाग हरियाणा से इस जांच के आधार पर अपराधिक मामला दर्ज करके उपरोक्त उम्मीदवारों/अध्यापकों व अन्य के खिलाफ कार्यवाही करने बारे आकांक्षा जाहिर की है । जो मजबूत उपरोक्त से सरेदस्त सुरत जुर्म 420,467,468, 471, 120-बी. भा.द.स. का सरजद होना पाया जाता है । लिहाजा तहरीर हजा भेजकर अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त आवेदकों/अध्यापकों व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नम्बर मय असल तहरीर से अनुसंधान अधिकारी/अफसरानबाला को सूचित किया जाये । मिसल मुकदमा बराये तफतीश निजद मार्कशुदा अनुसंधान अधिकारी के पास भिजवाया जाए । SD अंग्रेजी - राज सिंह, एच.पी.एस. उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला दिनांक 28.12.15 . अज थाना - हस्ब आमटा पत्र उपरोक्त बा



जुमें उपरोक्त थाना में प्राप्त होने पर बा हवाला रपट नम्बर 11 दिनांक 04-05-2016 समय 4.15 PM पर मुकदमा नम्बर 05 दिनांक 04-05-2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां बजरिया डाक अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाएंगी व नकल मिशन पुलिस मय असल पत्र आगामी अनुसंधान के लिए श्री राज सिंह उप- अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला को दी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधि पूर्वक किया गया।

13 - Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)/u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O): RAJ SINGH
No.: 0002

Rank: DSP
to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S(name):
on point of jurisdiction.


District:

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression
of The Complainant/Informant:


Signature of Officer
Name: INDER SINGH
Rank: INS

No.: 000099

15 . Date and Time of despatch to the court:

